न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 266/2020 दायर दिनाँक 05.10.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. जोराराम पुत्र हेमाराम (फौत) 1/1 उमाराम पुत्र जोराराम, 1/2 जिमकु पत्नि जोराराम, 1/3 रामी देवी पुत्री जोराराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 08.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 459 रकबा 58.07 बीघा वाके धनकोली स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी व कब्जा काश्त वादी का है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी के इस खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 459 के उतरी दिशा में चिपता हुआ एक रास्ता बहता है। जिसके खसरा संख्या 458 रकबा 2.02 बीघा गैर मुमकिन रास्ता है। यह गैर मुमकिन रास्ता वादी के खेत के चिपता हुआ आगे ग्राम आसलसर की सीमा तक राजस्व रेकर्ड के नक्शा में गलती से दर्शाया हुआ है। इस रास्ते के आगे ग्राम आसलसर की सीमा में खसरा संख्या 218 लगते है। जिसमें कोई कटाणी रास्ता नहीं है। तथा न ही इस रास्ते से उनके खेतो में कभी कोई आवागमन रहा है और न वर्तमान में इस रास्ते की जरूरत है।

यह है कि खसरा संख्या 458 रास्ता वादी की पुरानी रहवासी ढ़ाणी मार्क बी में आने जाने गाड़ी छकड़ा ट्रैक्टर आदी लाने ले जाने के लिये नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए, बी, सी तक कटाण है। और इससे आगे वादी की ढ़ाणी में वादी आवागमन कर लेता है। लेकिन नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ, डी रास्ता गलती से राजस्व रेकर्ड में तो दर्शाया हुआ है लेकिन मार्क एफ से डी तक कभी कोई रास्ता नहीं रहा न वर्तमान में हैं और न ही रास्ते के कोई आलामात है। तथा न ही इस रास्ते की किसी खेत वाले को जरूरत है। तथा गलती से इस रास्ते का अंकन एफ से डी तक गलत अंकन कर दिया गया। जबकी मार्क डी पर ग्राम आसलसर की सीमा लगती है। इस अंकन को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है जो वाद का भाग है। वादी के नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ, डी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में गलती से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस गलत अंकन मार्क एफ, डी रास्ते की किसी भी खातेदार को जरूरत नहीं है। तथा न ही कोई इस रास्ते से होकर जाता है। क्योंकि मौके पर यह रास्ता कभी नहीं रहा। और न वर्तमान में है। तथा इस रास्ते के आला[illegible] डी पर आसलसर की सीमा लग जाती है। ऐसी स्थि[illegible] नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ, डी [illegible] चाहता है। जिसका की [illegible] नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ, डी, [illegible] न वर्तमान में है। प्रतिवादी, वादी के खेत के समीप मार्क एफ डी [illegible] जबरन रास्ता गलत अंकन के आधार पर कायम नहीं करें। इस बाबत प्रतिवादी को पाबन्द करवाने का वादी जायज हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाति है।

तहसीलदार डीडवाना से वाद के संबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मागीं गयी, जिसकी पालना में तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/रेवेन्यु–2/2022/399 दिनॉक 10.06.2022 को शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

आदेश

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 643 रकबा 0.34 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता वाकै सरहद धनकोली में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ से डी तक रास्ते के गलत अंकन को हटाया जाकर 8 बिस्वा भूमि कम की जाकर, खसरा खसरा संख्या 459 के नये खसरा संख्या 646 में जोड़ा जाता है, खसरा संख्या 642 की पश्चिमी सीमा तक ही रास्ते का अंकन मार्क ए, बी, सी तक ही अंकन यथावत रहेगा, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है। नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 08.07..2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 266/2020 दायर दिनाँक 05.10.2020

वादी

1. जोराराम पुत्र हेमाराम (फौत)
1/1 उमाराम पुत्र जोराराम,
1/2 जिमकु पत्नि जोराराम,
1/3 रामी देवी पुत्री जोराराम, समस्त जाति जाट, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 08.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 643 रकबा 0.34 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता वाके सरहद धनकोली में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क एफ से डी तक रास्ते के गलत अंकन को हटाया जाकर 8 बिस्वा भूमि कम की जाकर, खसरा खसरा संख्या 459 के नये खसरा संख्या 646 में जोड़ा जाता है, खसरा संख्या 642 की पश्चिमी सीमा तक ही रास्ते का अंकन मार्क ए, बी, सी तक ही अंकन यथावत रहेगा, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है। नजरी नक्शा, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:51:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner